उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-3
संख्या-9/2016/461/एक-3-2016-रा0-3
लखनऊ: दिनांक: 16 मई,2016

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

श्री राजेन्द्र प्रसाद, समीक्षा अधिकारी (सेवानिवृत्त), राजस्व अनुभाग-4, उ0प्र0 सचिवालय को अधिवर्षता आयु दिनांक 29-02-2016 को होने के कारण अवकाश नकदीकरण हेतु राजस्व अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2016/327/एक-3-2016-रा0-3, दिनांक 08 मार्च,2016 द्वारा नकदीकरण के भुगतान के आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त नकदीकरण के भुगतान के सम्बन्ध में कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा मौखिक आदेश दिया गया था कि बजट रहित बिल ही भुगतान के लिये जायेंगे, जिसके कारण वित्तीय वर्ष 2015-16 में भुगतान न होने के कारण उक्त नकदीकरण का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-62 लेखाशीर्षक-"2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्तक हित लाभ-आयोजनेत्तर-01-सिविल-115- छुट्टी नकदीकरण हित लाभ-03-सेवानिवृत्त के समय अवकाश का नकदीकरण-33-पेंशन/अनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ के नामें डाला जायेगा।

उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 08 मार्च,2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

दिनेश कुमार सिंह
सचिव।

संख्या एवं दिनांक: उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अनुभाग अधिकारी, राजस्व लेखा अनुभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित।
4- श्री राजेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त समीक्षा अधिकारी, राजस्व विभाग, उ0प्र0 सचिवालय, निवासी-सेक्टर-9, म0नं0-9/728, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभाकर चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।